संख्या-50/2021/613 /30-3-2021-42एम/2014

प्रेषक,

मदन मोहन,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 31 मार्च, 2021

विषय- उत्तर प्रदेश मे सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में ''उच्चस्तरीय समिति'' के सचिवालय के रूप में परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश के कार्यालय में '' सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ'' के गठन हेतु अस्थायी रूप से सृजित किये गये पदों की निरंतरता जारी किये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-435 स0सु0/2021-43स0सु0/2015-21 दिनांक 17.02.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासनादेश संख्या-19/187/30-3-15-42एम/2014 दिनांक 27.02.2015 एवं शासनादेश संख्या-109/2019/2019/30-3-19-42एम/2014 दिनांक 22.08.2019 द्वारा सृजित पदों की निरन्तरता दिनांक 01.03.2021 से 28.02.2022 तक बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-19/187/30-3-15-42एम/2014 दिनांक 27.02.2015 द्वारा उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में ''उच्चस्तरीय समिति'' के सचिवालय के रूप में परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में '' सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ'' के गठन हेतु निम्नलिखित 04 अस्थायी पदों का सृजन किया गया है :-

क्र0स0	पदनाम	पदों की संख्या	भर्ती का स्रोत	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	विशेष कार्याधिकारी	03 (तीन)	सेवा स्थानान्तरण द्वारा	वेतन बैण्ड-3-15600-39100,ग्रेड वेतन 6600
2	लेखाकार	01 (एक)	सेवा स्थानान्तरण द्वारा	वेतन बैण्ड-2-9300-34800, ग्रेड वेतन 4200

3- मा0 सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी के निर्देशों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के क्रम में शासनादेश संख्या-109/2019/2019/30-3-19-42एम/2014 दिनांक 22.08.2019 द्वारा उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में ''उच्चस्तरीय समिति'' के सचिवालय के रूप गठित सड़क सुरक्षा सेल में विशेष कार्याधिकारी शिक्षा के 01 अस्थायी पद को दिनांक 28.02.2020 तक अवधि के लिए इस शर्त के साथ की ये पद बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिये जाए, निम्नवत् सृजित किया गया है :-

क्र0स0	पदनाम	पदों की संख्या	भर्ती का स्रोत	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	विशेष कार्याधिकारी (शिक्षा)	01 (एक)	सेवा स्थानान्तरण द्वारा	वेतन बैण्ड-3-15600-39100,ग्रेड वेतन 6600 पुनरीक्षित वेतनमान (वेतन मैट्रिक्स लेवल-11, रू0 67700-208700/-)

4- उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-19/187/30-3-15-42एम/2014 दिनांक 27.02.2015 द्वारा निम्नलिखित 08 अस्थायी पदों का सृजन इस शर्त के अधीन किया गया है कि इन पदों पर नियमानुसार सेवा प्रदाता एजेन्सी का चयन एवं उससे अनुबन्ध करके आउटसोर्स के माध्यम से सेवायें प्राप्त की जायेगी :-

क्र0स0	पदनाम	पदों की संख्या	भर्ती का स्रोत
(1)	(2)	(3)	(4)
1	डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर	02 (दो)	आउटसोर्सिंग द्वारा
2	लिपिक	04 (चार)	आउटसोर्सिंग द्वारा
3	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	02 (दो)	आउटसोर्सिंग द्वारा
योग- 08(आठ)			

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- प्रस्तर-2, 3 और 4 में उल्लिखित शासनादेश दिनांक 27.02.2015 एवं शासनादेश दिनांक 22.08.2019 द्वारा सृजित पदो की निरंतरता शासनादेश संख्या-25/2020/1184/30-3-20-42एम/2014, दिनांक 27.04.2020 द्वारा दिनांक 01.03.2020 से दिनांक 28.02.2021 तक बढ़ायी गयी है ।

6- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरिसंदर्भित शासनादेश दिनांक 27.02.2015 एवं 22.08.2019 में उल्लिखित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन प्रस्तर-2, 3 एवं 4 में उल्लिखित अस्थायी पदों की निरंतरता दिनांक 01.03.2021 से 28.02.2022 तक, यदि इससे पूर्व ही इन्हें बिना नोटिस के समाप्त न कर दिया जाये, बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

7- सेवा स्थानान्तरण के आधार पर अस्थायी रूप से नियुक्त 03 विशेष कार्याधिकारी (वेतन बैण्ड-3-15600-39100 ग्रेड वेतन 6600) तथा 01 लेखाकार (वेतन बैण्ड-2-9300-34800 ग्रेड वेतन 4200) को शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अन्तर्गत मंहगाई भत्ता व अन्य भत्ते, जो भी अनुमन्य हो, देय होगे।

8- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली-2014, नियम-9 के खण्ड-(ग) मे दी गयी व्यवस्था के क्रम में उक्त नियमावली के नियम-4(3) में उल्लिखित ''लेखाशीर्ष-3055-सड़क परिवहन-800-अन्य व्यय-05 उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-42-अन्य व्यय'' से वहन किया जायेगा।

भवदीय,
ह0/-
(मदन मोहन)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-50/2021/613 (1)/30-3-2021, तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2
3. वित्त (व्यय-नियंत्रक) अनुभाग-9
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो,वित्त विभाग, उ0प्र0 सचिवालय लखनऊ।
6. कार्मिक अनुभाग-1
7. कार्मिक नियमावली सेल।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(रेनू वर्मा)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।